हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना- कपूरपुर **दिनांकः- 06-07-2024**

"~ संगठित साइबर अपराध के विरुद्ध हापुड़ पुलिस की कार्यवाही ~"

- **थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक शातिर अपराधी द्वारा साइबर अपराध कर अवैध रुप से अर्जित की गयी सम्पत्ति (मकान कीमत करीब 24,44,668 रुपये) को कुर्क किया गया।**
- **अभियुक्त आलोक कुमार शातिर किस्म का साइबर ठग है जिसके द्वारा सुसंगठित गैंग बनाकर अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अवैध संसाधनों से धन अर्जित कर अपनी माता के नाम दिल्ली में मकान खरीदा गया था जिसके जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।**

कार्यवाहीः-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा थाना पिलखुवा के मु0अ0सं0 157/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से सम्पत्ति अर्जित कर बी 94 रनहोला थाना विकास नगर उत्तर पश्चिम दिल्ली में खरीदा गया मकान (कीमत करीब 24,44,668 रुपये) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हापुड के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।

अभियुक्त का नाम व पताः-

आलोक कुमार पुत्र नीलांबर झा निवासी मकान नंबर 2243 ब्लॉक ए इंदर कॉलोनी फेस 2 किरकी सुलेमान नगर मुबारकपुर नागलोई दिल्ली हाल पता B-94 विकास नगर थाना रनहोला दिल्ली।

कुर्क करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री अवनीष कुमार शर्मा थाना कपूरपुर जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड।
3. उ0नि0 यूटी सौरभ कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड।
4. उ0नि0 यूटी नितेश कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड।
5. है0का0 84 संजीव कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड।
6. है0का0 661 अंकित कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड।
7. म0का0 512 सीमा रानी थाना कपूरपुर जनपद हापुड।